

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 मई 2026 — वैशाख 14, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक LAND-43/54/2026-HOUSING.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23—क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-

दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

स. क्र.	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हे.मे)	अंगीकृत दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में भू-उपयोग	अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण
1	ग्राम कचान्दुर पहनं. 12, रानिमं.—जेवरा, सिरसा तहसील व जिला दुर्ग	1078 का भाग (1078/2)	0.800 हे.	आमोद—प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त उपांतरण दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में नवीन शासकीय फिजियोथैरेपी महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु।

3. राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण दुर्ग—भिलाई विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.